

19.06.2024 पत्रावली पेश हुई।  
वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुरोधित।  
रुब-रुब कर तीत कार आवाज लगावाई  
गई, वाकजूद इसके कोई अधिवक्ता नहीं।  
इससे प्रतीत होता है कि वादीगण एवं  
अधिवक्ता वादीगण अपने दावे को लेकर  
जम्हिर नहीं हैं अतः डावा अडम हाजे ही  
अडम पैरवी इसी दल पर खारिज  
नकिया जाता है।

पत्रावली फेताल शुमा होडर  
नम्बर से कम की जाडर दाखिल  
दस्ता ये

सहायक कलेक्टर एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) सांचौर